

अनुच्छेद 142

प्रलिमिंस के लिये:

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति, राज्यपाल

मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय अपनाने में चुनौतियाँ (अनुच्छेद 142), अनुच्छेद 162

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया और [पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले](#) में एजी पेरारविलन को रद्द करने का आदेश दिया है।

- न्यायालय ने संघवाद की रक्षा करते हुए कहा कि हत्या के मामलों में दोषियों द्वारा किये गए [अनुच्छेद 161](#) के तहत क्षमा की याचिका के मामले में राज्यों के पास राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की शक्ति है।
- [अनुच्छेद 161](#) में यह प्रावधान है कि किसी भी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये राज्य द्वारा दिये गए दंड के संबंध में [राज्यपाल](#) के पास दंड को नलिंबति करने, दंड की अवधि को कम करने, दंड के स्वरूप में परिवर्तन करने की शक्ति होगी।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तमलिनाडु मंत्रपरिषद द्वारा वर्ष 2018 में राज्यपाल को दी गई क्षमादान की सलाह संविधान के [अनुच्छेद 161](#) (राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति) के अंतर्गत राज्यपाल के लिये बाध्यकारी है।
- क्षमा याचिका पर नरिणय लेने की राज्यपाल की अनर्च्छा ने न्यायालय को पेरारविलन के साथ न्याय करने के लिये [अनुच्छेद 142](#) के तहत अपनी संविधानिक शक्तियों को नरिणय करने के लिये बाध्य किया।
- पेरारविलन को रद्द करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के [अनुच्छेद 142](#) का इस्तेमाल किया जो न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु असाधारण शक्तियाँ प्रदान करता है।
- न्यायालय ने केंद्र के इस तर्क को खारजि कर दिया कि विशेष रूप से केवल राष्ट्रपति के पास [भारतीय दंड संहति](#) की धारा 302 (हत्या) के तहत किसी मामले में क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह विवाद अनुच्छेद 161 को एक "मृत्यु पत्र" के समान बना देगा और एक असाधारण स्थिति पैदा कर देगा जो राज्यपालों द्वारा पछिले 70 वर्षों से हत्या के मामलों में दी गई क्षमा को अमान्य कर देगा।

अनुच्छेद 142:

- **परभाषा:** अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डकिरी पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबति किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
- **रचनात्मक अनुप्रयोग:** अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आमजनता और वकीलों दोनों ने समाज के वभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिये सर्वोच्च न्यायालय की सहायता की।
 - इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ताजमहल की सफाई का नरिणय और कई वधिराधीन केंदरियों को न्याय प्रदान किया गया है।
- भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से संबंधित यूनयिन कारबाइड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद को संसद या राज्यों की वधिानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा कि न्याय को पूरा करने के लिये वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की भी अवहेलना कर सकता है।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 142 का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतस्थापति करने के लिये नहीं, बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है।
- **न्यायिक अतरिक के मामले:** हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे नरिणय दिये हैं जिनमें यह अनुच्छेद उन कषेत्रों में भी हस्तक्षेप करता है जिनमें न्यायालय द्वारा [शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत](#) के माध्यम से भुला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि [शक्तियों के पृथक्करण](#) का सिद्धांत

भारतीय संविधान के मूल ढाँचे का एक भाग है।

- **राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार की अधिसूचना में जहाँ केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए 500 मीटर की दूरी तक प्रतिबंध लगा दिया है।
- इसके अतिरिक्त और किसी भी राज्य सरकार द्वारा इसी तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों पर भी बढ़ा दिया।
- इस तरह के फैसलों ने अनुच्छेद 142 को लागू करने के लिये न्यायालय के वविक के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जहाँ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की भी अनदेखी की जा रही है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या अनुच्छेद 142 का शक्ति के स्वतंत्र स्रोत के रूप में उपयोग सख्त दशा-नरिदेशों द्वारा नरितरति किया जाना चाहिये।
- एक अन्य विकल्प यह है कि अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले सभी मामलों को कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिये ताकि वविक का यह प्रयोग लोगों के जीवन पर इस तरह के दूरगामी प्रभाव वाले मामलों पर काम कर रहे पाँच स्वतंत्र न्यायिक दमियों का परिणाम मलि सके।
- उन सभी मामलों में जहाँ अदालत अनुच्छेद 142 को लागू करती है, सरकार को इसकी तारीख से छह महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद लाभकारी और साथ ही फैसले के नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के लिये एक श्वेतपत्र लाना चाहिये।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात् दंडादेश का नलिबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है:
 - **लघुकरण (Commutation)**- सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
 - **परिहार (Remission)**- सज़ा की अवधि को बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
 - **वसिम (Respite)**- वशिष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।
 - **प्रवलिबन (Reprieve)**- किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया जैसे फौसी को कुछ समय के लिये टालना।
 - **क्षमा (Pardon)**- पूर्णतः माफ़ कर देना, इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं।

वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, सामान्य कानूनों में नहिनि नषिध या सीमाएं या प्रावधान संविधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। नमिनलिखिति में से इसका क्या अर्थ हो सकता है? (2019)

- (A) भारत नरिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नरिवाहन करते हुए लिये गए नरिणयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- (B) भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिये बाध्य नहीं है।
- (C) देश में गंभीर वतितीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श किये बिना वतितीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- (D) संघ वधिानमंडल की सहमति के बिना राज्य वधिानमंडल कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते हैं।

उत्तर: B

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो या इस प्रकार किये गए आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में ऐसी रीति से लागू करने योग्य होंगे जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत नरिधारति की जा सकती है और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा नरिधारति कर सकता है।
- इस प्रकार अनुच्छेद 142 संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को पहले से दी गई शक्तियों का पूरक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय किया गया है और न्यायालय अधिकार क्षेत्र या कानूनी प्रधिकार की कमी के कारण बाधित नहीं होता है।

अतः विकल्प (B) सही है

स्रोत: द हट्टी

